

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 5 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पलवल, पंचकूला व यमुनानगर) में उन्नत तकनीक पर उड़द के प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–08–2024 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर उड़द के प्रदर्शन प्लाट पर रु0 3600/-एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Cluster Demonstraion – Urd

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Urd demonstrations) Kharif-2024. (Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	125	4.50	100	3.60	25	0.90
2	KKR	80	2.88	64	2.30	16	0.58
3	Palwal	80	2.88	64	2.30	16	0.58
4	Panchkula	130	4.68	104	3.74	26	0.94
5	Y.Nagar	130	4.68	104	3.74	26	0.94
	Total	545	19.62	436	15.70	109	3.92

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भार्इयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 22 जिलों में उन्नत तकनीक पर मूँग के प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भार्इ कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–08–2024 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर मूँग के प्रदर्शन प्लाट पर ₹ 3600/-एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Cluster Demonstration – Moong

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Moong demonstrations) Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	80	2.88	64	2.30	16	0.58
2	Bhiwani	250	9.00	200	7.20	50	1.80
3	Ch.Dadri	150	5.40	120	4.32	30	1.08
4	Faridabad	80	2.88	64	2.30	16	0.58
5	Fatehabad	80	2.88	64	2.30	16	0.58
6	Gurugram	70	2.52	56	2.02	14	0.50
7	Hisar	200	7.20	160	5.76	40	1.44
8	Jhajjar	80	2.88	64	2.30	16	0.58
9	Jind	80	2.88	64	2.30	16	0.58
10	Karnal	80	2.88	64	2.30	16	0.58
11	KKR	80	2.88	64	2.30	16	0.58
12	Kaithal	80	2.88	64	2.30	16	0.58
13	M.Garh	200	7.20	160	5.76	40	1.44
14	Mewat	80	2.88	64	2.30	16	0.58
15	Palwal	80	2.88	64	2.30	16	0.58
16	Panipat	80	2.88	64	2.30	16	0.58
17	Panchkula	70	2.52	56	2.02	14	0.50
18	Rewari	100	3.60	80	2.88	20	0.72
19	Rohtak	80	2.88	64	2.30	16	0.58
20	Sirsa	100	3.60	80	2.88	20	0.72
21	Sonipat	70	2.52	56	2.02	14	0.50
22	Y.Nagar	80	2.88	64	2.30	16	0.58
	Total	2250	81.00	1800	64.80	450	16.20

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 14 जिलों (चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक व सोनीपत) में उन्नत तकनीक पर अरहर के प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15–08–2024 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर अरहर के प्रदर्शन प्लाट पर ₹ 3600 / एकड़ सामान्य वर्ष / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Cluster Demonstraion – Arhar

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Arhar demonstrations) Kharif-2024. (Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ch.Dadri	40	1.44	32	1.15	8	0.29
2	Faridabad	30	1.08	24	0.86	6	0.22
3	Fatehabad	20	0.72	16	0.58	4	0.14
4	Gurugram	40	1.44	32	1.15	8	0.29
5	Hisar	30	1.08	24	0.86	6	0.22
6	Jhajjar	50	1.80	40	1.44	10	0.36
7	Jind	20	0.72	16	0.58	4	0.14
8	M.Garh	50	1.80	40	1.44	10	0.36
9	Mewat	80	2.88	64	2.30	16	0.58
10	Palwal	30	1.08	24	0.86	6	0.22
11	Panipat	20	0.72	16	0.58	4	0.14
12	Rewari	30	1.08	24	0.86	6	0.22
13	Rohtak	30	1.08	24	0.86	6	0.22
14	Sonipat	30	1.08	24	0.86	6	0.22
	Total	500	18.00	400	14.40	100	3.60

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा मिशन—दहलन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 9 जिलों (भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी तथा रोहतक) जिलों में फसल अधारित प्रणाली प्रदर्शन प्लाट (मूँग + चना) पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 15-08-2024 तक कर सकते हैं।

फसल अधारित प्रणाली प्रदर्शन प्लाट (मूँग + चना) पर ₹ 6000/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Cropping system based Demonstration (Moong + Gram)

District Wise Tentative Physical & Financial targets for FNS- Pulses- Moong+ Gram cropping system based Demonstration (Bajra) Kharif-2024-23 Assistance @ ₹. 6000/ acre							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	60	3.60	48	2.88	12	0.72
2	Gurugram	55	3.30	44	2.64	11	0.66
3	Hisar	50	3.00	40	2.40	10	0.60
4	Jhajjar	50	3.00	40	2.40	10	0.60
5	Jind	45	2.70	36	2.16	9	0.54
6	M.Garh	50	3.00	40	2.40	10	0.60
7	Mewat	40	2.40	32	1.92	8	0.48
8	Rewari	50	3.00	40	2.40	10	0.60
9	Rohtak	50	3.00	40	2.40	10	0.60
	Total	450	27.00	360	21.60	90	5.40

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / महिला किसान / लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है। जो किसान खरीफ मौसम में बाजरा की बिजाई करेगा उसने उसी खेत में रबी मौसम में चना लगानी होगी। जो किसान खरीफ मौसम में मूँग की बिजाई करेगा उसने उसी खेत में रबी मौसम में चना लगानी होगी।
- चना के प्रदर्शन प्लाट (मूँग + चना) फसल प्रणाली आधारित के तहत जिन किस ज़ज़ाते ने खरीफ में मूँग की फसल इसी स्कीम के अन्तर्गत उगाई हों वही किसान आवेदन कर सकते हैं।
- किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 5 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पलवल, पंचकूला व यमुनानगर) में प्रमाणित बीज उड्ड में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज उड्ड में 10 वर्ष से कम की किस्मों ₹0 5000/- विवंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed – Urd (for varieties less than 10 years of age)

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Urd Seed Distribution) varieties less than 10 year during Kharif-2024.(Assistance @ Rs. 5000/- qtls or 50% of cost whichever is less)						
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category
		Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtl)
1	Ambala	30	1.50	24	1.20	6
2	KKR	20	1.00	16	0.80	4
3	Palwal	25	1.25	20	1.00	5
4	Panchkula	50	2.50	40	2.00	10
5	Y.Nagar	25	1.25	20	1.00	5
Total		150	7.50	120	6.00	30
						1.50

विशेष दिशा निर्देषः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 22 जिलों में प्रमाणित बीज मूँग में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज मूँग में 10 वर्ष से कम की किस्मों रु0 5000/- किंवंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed – Moong (for varities less than 10 years of age)

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Moong Seed Distribution) varities less than 10 year during Kharif-2024.(Assistance @ Rs. 5000/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	20	1.00	16	0.80	4	0.20
2	Bhiwani	80	4.00	64	3.20	16	0.80
3	Ch.Dadri	50	2.50	40	2.00	10	0.50
4	Faridabad	40	2.00	32	1.60	8	0.40
5	Fatehabad	40	2.00	32	1.60	8	0.40
6	Gurugram	30	1.50	24	1.20	6	0.30
7	Hisar	50	2.50	40	2.00	10	0.50
8	Jhajjar	50	2.50	40	2.00	10	0.50
9	Jind	50	2.50	40	2.00	10	0.50
10	Karnal	10	0.50	8	0.40	2	0.10
11	KKR	10	0.50	8	0.40	2	0.10
12	Kaithal	10	0.50	8	0.40	2	0.10
13	M.Garh	50	2.50	40	2.00	10	0.50
14	Mewat	40	2.00	32	1.60	8	0.40
15	Palwal	40	2.00	32	1.60	8	0.40
16	Panipat	50	2.50	40	2.00	10	0.50
17	Panchkula	10	0.50	8	0.40	2	0.10
18	Rewari	30	1.50	24	1.20	6	0.30
19	Rohtak	20	1.00	16	0.80	4	0.20
20	Sirsa	30	1.50	24	1.20	6	0.30
21	Sonipat	20	1.00	16	0.80	4	0.20
22	Y.Nagar	20	1.00	16	0.80	4	0.20
	Total	750	37.50	600	30.00	150	7.50

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 14 जिलों (चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक व सोनीपत) में प्रमाणित बीज अरहर में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज अरहर में 10 वर्ष से कम की किस्मों ₹0 5000/-विवंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed – Arhar (for varieties less than 10 years of age)

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Arhar Seed Distribution) varieties less than 10 year during Kharif-2024.(Assistance @ Rs. 5000/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ch.Dadri	15	0.75	12	0.60	3	0.15
2	Faridabad	10	0.50	8	0.40	2	0.10
3	Fatehabad	10	0.50	8	0.40	2	0.10
4	Gurugram	10	0.50	8	0.40	2	0.10
5	Hisar	15	0.75	12	0.60	3	0.15
6	Jhajjar	10	0.50	8	0.40	2	0.10
7	Jind	10	0.50	8	0.40	2	0.10
8	M.Garh	10	0.50	8	0.40	2	0.10
9	Mewat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
10	Palwal	10	0.50	8	0.40	2	0.10
11	Panipat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
12	Rewari	10	0.50	8	0.40	2	0.10
13	Rohtak	10	0.50	8	0.40	2	0.10
14	Sonipat	10	0.50	8	0.40	2	0.10
	Total	150	7.50	120	6.00	30	1.50

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 5 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पलवल, पंचकूला व यमुनानगर) में प्रमाणित बीज उड़द में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज उड़द में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों रु0 2500/ विंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ष /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed – Urd (for varieties more than 10 years of age)

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Urd Seed Distribution) varieties More than 10 year during Kharif-2024.(Assistance @ Rs. 2500/- qtls or 50% of cost whichever is less)						
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category
		Phy. (in Qtls)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtls)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtls)
1	Ambala	40	1.00	32	0.80	8
2	KKR	25	0.63	20	0.50	5
3	Palwal	25	0.63	20	0.50	5
4	Panchkula	40	1.00	32	0.80	8
5	Y.Nagar	20	0.50	16	0.40	4
	Total	150	3.75	120	3.00	30
						0.75

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 22 जिलों में प्रमाणित बीज मूँग में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज मूँग में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों ₹0 2500/- विवंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed – Moong (for varieties More than 10 years of age)

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Moong Seed Distribution) varieties More than 10 year during Kharif-2024.(Assistance @ Rs. 2500/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy. (in Qtl)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	5	0.13	4	0.1	1	0.025
2	Bhiwani	30	0.75	24	0.60	6	0.15
3	Ch.Dadri	15	0.38	12	0.30	3	0.08
4	Faridabad	10	0.25	8	0.20	2	0.05
5	Fatehabad	10	0.25	8	0.20	2	0.05
6	Gurugram	5	0.13	4	0.10	1	0.03
7	Hisar	20	0.50	16	0.40	4	0.10
8	Jhajjar	10	0.25	8	0.20	2	0.05
9	Jind	10	0.25	8	0.20	2	0.05
10	Karnal	10	0.25	8	0.20	2	0.05
11	KKR	10	0.25	8	0.20	2	0.05
12	Kaithal	10	0.25	8	0.20	2	0.05
13	M.Garh	20	0.50	16	0.40	4	0.10
14	Mewat	10	0.25	8	0.20	2	0.05
15	Palwal	10	0.25	8	0.20	2	0.05
16	Panipat	10	0.25	8	0.20	2	0.05
17	Panchkula	5	0.13	4	0.10	1	0.03
18	Rewari	10	0.25	8	0.20	2	0.05
19	Rohtak	10	0.25	8	0.20	2	0.05
20	Sirsa	25	0.63	20	0.50	5	0.13
21	Sonipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
22	Y.Nagar	10	0.25	8	0.20	2	0.05
	Total	260	6.50	208	5.20	52	1.30

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि [अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी](#) / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 14 जिलों (चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक व सोनीपत) में प्रमाणित बीज अरहर में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज अरहर में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों ₹0 2500 / विंटल या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed – Arhar (for varities More than 10 years of age)

Tentative District Wise Physical & Financial targets for FNS- Pulses (Arhar Seed Distribution) varities More than 10 year during Kharif-2024.(Assistance @ @ Rs. 2500/- qtls or 50% of cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ch.Dadri	15	0.38	12	0.30	3	0.08
2	Fatehabad	10	0.25	8	0.20	2	0.05
3	Faridabad	10	0.25	8	0.20	2	0.05
4	Gurugram	10	0.25	8	0.20	2	0.05
5	Hisar	15	0.38	12	0.30	3	0.08
6	Jind	10	0.25	8	0.20	2	0.05
7	Jhajjar	10	0.25	8	0.20	2	0.05
8	M.Garh	10	0.25	8	0.20	2	0.05
9	Mewat	10	0.25	8	0.20	2	0.05
10	Palwal	10	0.25	8	0.20	2	0.05
11	Panipat	10	0.25	8	0.20	2	0.05
12	Rewari	10	0.25	8	0.20	2	0.05
13	Rohtak	10	0.25	8	0.20	2	0.05
14	Sonipat	10	0.25	8	0.20	2	0.05
	Total	150	3.75	120	3.00	30	0.75

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों (22 जिलों) मे पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन— सूक्ष्म तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> मे Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–09–2024) तक कर सकते हैं।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन— सूक्ष्म तत्व पर ₹0 200/-एकड़ या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Plant & Soil Protection Management- Micronutrient

Tentative District Wise Physical & Financial targets for distribution of Micronutrient under FNS-Pulses Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	100	0.20	80	0.16	20	0.04
2	Bhiwani	250	0.50	200	0.40	50	0.10
3	Ch.Dadri	200	0.40	160	0.32	40	0.08
4	Faridabad	200	0.40	160	0.32	40	0.08
5	Fatehabad	200	0.40	160	0.32	40	0.08
6	Gurugram	200	0.40	160	0.32	40	0.08
7	Hisar	250	0.50	200	0.40	50	0.10
8	Jhajjar	250	0.50	200	0.40	50	0.10
9	Jind	250	0.50	200	0.40	50	0.10
10	Kaithal	250	0.50	200	0.40	50	0.10
11	Karnal	250	0.50	200	0.40	50	0.10
12	KKR	200	0.40	160	0.32	40	0.08
13	M.Garh	250	0.50	200	0.40	50	0.10
14	Mewat	200	0.40	160	0.32	40	0.08
15	Palwal	240	0.48	192	0.38	48	0.10
16	Panchkula	200	0.40	160	0.32	40	0.08
17	Panipat	200	0.40	160	0.32	40	0.08
18	Rewari	240	0.48	192	0.38	48	0.10
19	Rohtak	240	0.48	192	0.38	48	0.10
20	Sirsa	240	0.48	192	0.38	48	0.10
21	Sonipat	200	0.40	160	0.32	40	0.08
22	Y.Nagar	240	0.48	192	0.38	48	0.10
	Total	4850	9.70	3880	7.76	970	1.94

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों (22 जिलों) में पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन—जैविक खाद पर पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–09–2024) तक कर सकते हैं ।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन—जैविक खाद पर ₹0 120/- एकड़ या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Plant & Soil Protection Management- Bio Fertilizer

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों (22 जिलों) मे पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन— पौध संरक्षण रसायन पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–09–2024) तक कर सकते हैं ।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन— पौध संरक्षण रसायन पर ₹0 200 / एकड़ या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है ।

Plant Protection Management (IPM)- Distribution of PP-Chemical

Tentative District Wise Physical & Financial targets for distribution of PP Chemical under FNS- Pulses Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	300	0.60	240	0.48	60	0.12
2	Bhiwani	350	0.70	280	0.56	70	0.14
3	Ch.Dadri	350	0.70	280	0.56	70	0.14
4	Faridabad	300	0.60	240	0.48	60	0.12
5	Fatehabad	350	0.70	280	0.56	70	0.14
6	Gurugram	300	0.60	240	0.48	60	0.12
7	Hisar	350	0.70	280	0.56	70	0.14
8	Jhajjar	350	0.70	280	0.56	70	0.14
9	Jind	350	0.70	280	0.56	70	0.14
10	Kaithal	350	0.70	280	0.56	70	0.14
11	Karnal	350	0.70	280	0.56	70	0.14
12	KKR	350	0.70	280	0.56	70	0.14
13	M.Garh	400	0.80	320	0.64	80	0.16
14	Mewat	300	0.60	240	0.48	60	0.12
15	Palwal	350	0.70	280	0.56	70	0.14
16	Panchkula	250	0.50	200	0.40	50	0.10
17	Panipat	300	0.60	240	0.48	60	0.12
18	Rewari	350	0.70	280	0.56	70	0.14
19	Rohtak	350	0.70	280	0.56	70	0.14
20	Sirsa	400	0.80	320	0.64	80	0.16
21	Sonipat	350	0.70	280	0.56	70	0.14
22	Y.Nagar	400	0.80	320	0.64	80	0.16
	Total	7500	15.00	6000	12.00	1500	3.00

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों (22 जिलों) मे पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन— खरपतवार नाशी पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–09–2024) तक कर सकते हैं ।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन— खरपतवार नाशी पर ₹0 200 / एकड़ या लागत का 50% जो भी कम हो सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है ।

Plant Protection Management (IPM)- Distribution of Weedicides

Tentative District Wise Physical & Financial targets for distribution of Weedicide under FNS-Pulses Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	300	0.60	240	0.48	60	0.12
2	Bhiwani	350	0.70	280	0.56	70	0.14
3	Ch.Dadri	350	0.70	280	0.56	70	0.14
4	Faridabad	300	0.60	240	0.48	60	0.12
5	Fatehabad	350	0.70	280	0.56	70	0.14
6	Gurugram	300	0.60	240	0.48	60	0.12
7	Hisar	350	0.70	280	0.56	70	0.14
8	Jhajjar	350	0.70	280	0.56	70	0.14
9	Jind	350	0.70	280	0.56	70	0.14
10	Kaithal	350	0.70	280	0.56	70	0.14
11	Karnal	350	0.70	280	0.56	70	0.14
12	KKR	350	0.70	280	0.56	70	0.14
13	M.Garh	400	0.80	320	0.64	80	0.16
14	Mewat	300	0.60	240	0.48	60	0.12
15	Palwal	350	0.70	280	0.56	70	0.14
16	Panchkula	250	0.50	200	0.40	50	0.10
17	Panipat	300	0.60	240	0.48	60	0.12
18	Rewari	350	0.70	280	0.56	70	0.14
19	Rohtak	350	0.70	280	0.56	70	0.14
20	Sirsa	400	0.80	320	0.64	80	0.16
21	Sonipat	350	0.70	280	0.56	70	0.14
22	Y.Nagar	400	0.80	320	0.64	80	0.16
	Total	7500	15.00	6000	12.00	1500	3.00

विशेष दिशा निर्देषः—

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों सभी जिलों (22 जिलों) में कृषि उपकरण— हस्त चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–09–2024) तक कर सकते हैं।

कृषि उपकरण— हस्त चालित स्प्रे पम्प रु0 600/- युनिट सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति /30 प्रतिशत महिला किसान /33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए उपलब्ध है।

Farm Implements and Equipments- Manual Sprayer

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रै पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों सभी जिलों (22 जिलों) में कृषि उपकरण—बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–09–2024) तक कर सकते हैं।

कृषि उपकरण— बैटरी चालित स्प्रे पम्प रु0 3000/- युनिट सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Farm Implements and Equipments- Power Knap Sack Sprayer

Tentative District Wise Physical & Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Power Knap sack Sprayer) under FNS- Pulses Kharif-2024							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakh)
1	Ambala	5	0.15	4	0.12	1	0.03
2	Bhiwani	20	0.60	16	0.48	4	0.12
3	Ch.Dadri	10	0.30	8	0.24	2	0.06
4	Faridabad	10	0.30	8	0.24	2	0.06
5	Fatehabad	10	0.30	8	0.24	2	0.06
6	Gurugram	5	0.15	4	0.12	1	0.03
7	Hisar	10	0.30	8	0.24	2	0.06
8	Jhajjar	10	0.30	8	0.24	2	0.06
9	Jind	10	0.30	8	0.24	2	0.06
10	Kaithal	10	0.30	8	0.24	2	0.06
11	Karnal	10	0.30	8	0.24	2	0.06
12	KKR	10	0.30	8	0.24	2	0.06
13	M.Garh	10	0.30	8	0.24	2	0.06
14	Mewat	10	0.30	8	0.24	2	0.06
15	Palwal	5	0.15	4	0.12	1	0.03
16	Panchkula	5	0.15	4	0.12	1	0.03
17	Panipat	5	0.15	4	0.12	1	0.03
18	Rewari	10	0.30	8	0.24	2	0.06
19	Rohtak	10	0.30	8	0.24	2	0.06
20	Sirsa	10	0.30	8	0.24	2	0.06
21	Sonipat	5	0.15	4	0.12	1	0.03
22	Y.Nagar	10	0.30	8	0.24	2	0.06
	Total	200	6.00	160	4.80	40	1.20

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रै पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा